

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 24 / 2020 ज0 43

1. श्री काबू 510 टपारी राणा-राणसू नि० आमदला

—प्रार्थी।

बनाम

1. श्री चर्मा अराज गन्दा राणा-राणसू नि० आमदला करेडा

—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 22/9/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के
हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमदला पटवार हल्का आमदला
भू0अ0नि0 क्षेत्र करेडा में उनके खाता संख्या 5352 की आ0नं 1996 रुका
2.00 बीघा, एं 2775/1996 रुका 0.13 बिना रुका रुका 2.13 बीघा
स्थित है।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी
के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/9/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण
को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से
पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की
हैरा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों
का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया
जाकर ग्राम आमदला पटवार हल्का आमदला भू0अ0नि0 क्षेत्र करेडा में उनके खाता
संख्या 5352 की आ0नं 1996 रुका 2.00 बीघा एं 2775/1996 रुका 0.13 बिना
रुका रुका 2.13 बीघा
भूमि स्थित है।

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0
करेडा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल
खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
सहकरेडा (जिला भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
सहकरेडा (जिला भीलवाडा)

